वि.स.प्र.क्र.-1750 (तारां.)   "परिशिष्ट-अ"   [25/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 1750]

कार्यालय थाना प्रभारी थाना उगली जिला सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक/पीएस/उगली/ 230 /2026   दिनांक - 05.02.2026

प्रति,

श्रीमान सहायक खनिज अधिकारी,
जिला सिवनी

विषय- खुरसरा रेत खदान में गोली कांड की घटना के संबंध में की गयी कार्यवाही बावत।

संदर्भ- आपका पृ0क्रमांक/63/खनिज /वि0स0/2026 सिवनी दिनांक 04.02.2026 के पालन में।

****

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री रजनीश हरवंश सिंह- 116 सदस्य विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1750 द्वारा विधानसभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत ग्राम खुरसरा ईमलीटोला रेत खदान को लेकर झगडा विवाद में दिनांक 19.11.2025 को खनन/रेत माफियाओं द्वारा गोली चालान किया गया कि घटना के संबंध में जानकारी चाही गयी है। जिसके तारतम्य में आपके द्वारा बिन्दु क्रमांक (ख) क्या खुरसरा रेत खदान क्षेत्र में गोलीकांड जैसी गंभीर आपराधिक घटनाऐं सामने आई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भय एवं दहशत का माहौल बना हुआ है यदि हां, तो दोषियों के विरूध्द क्या कार्यवाही की गई है की जानकारी चाही गई है।

दिनांक 19.11.25 को थाना उगली जिला सिवनी के ग्राम खुरसरा इमलीटोला में रेत खदान में काम करवाने को लेकर दो पक्षों के मध्य झगडा विवाद के दौरान करीब 13.00 बजे गोली चालन होने से पीडित विकास पटले पिता गजानंद पटले उम्र 25 साल नि० इमलीटोला को पेट मे गोली लगने से घायल होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लिया गया फरियादी की ओर से एफआईआर कं- 230/25 धारा-109(1), 296 (बी), 351(3).3 (5) बीएनएस दर्ज कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया। फरियादी के कथनानुसार आरोपियो की पतासाजी कर पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुये दिनांक 20.11.25 को मुख्य 02 आरोपी (1) अनुराग तिवारी पिता भागीरथी तिवारी उम्र 32 साल नि० गोल्डन पाम सोसायटी निरंजनपुर फ्लैट नं-108 ई-ब्लाक इंदौर हाल वार्ड नं-32 नर्मदानगर बालाघाट (2) प्रदीप पिता सेवकराम ठाकुर उम्र 43 साल नि० वार्ड नं-9 देसाईवर्री थाना बरघाट जिला सिवनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विवेचना के दौरान दिनांक 03.12. 2025 को 01 अन्य आरोपी अमजद खान पिता औरंगजेब खान उम्र 31 साल नि० ओरमा समनापुर थाना नवेगांव जिला बालाघाट को गिरफ्तार किया गया है आरोपी से घटना में उपयोग की गई देशी पिस्टल बरामद कर ली गई है। शेष अन्य नामजद आरोपी लवलीन निवासी बरघाट की तलाश जारी है। आरोपियों के विरूद्ध अपराध कं- 230/25 धारा 109(1), 296 (बी), 351 (3),3 (5) बीएनएस इजाफा धारा-25,27 आर्म्स एक्ट के तहत कठोर कार्यवाही की गई है। तथा घटना से संबंधित सभी बिंदुओ पर विवेचना वर्तमान में जारी है दोनो पक्षो के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विवाद में शामिल लोगो को चिंहित कर कुल 23 के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही धारा 126 (बी), 135 (3) बीएनएसएस के अंतर्गत की गई। घटना में शामिल आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धारा- 109(1), 296 (बी), 357(3).3 (5) बीएनएस इजाफा धारा-25,27 आर्म्स एक्ट अंतर्गत प्रकरण विवेचनाधीन है।

प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

थाना प्रभारी
थाना उगली

(1)